



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112025-268032
CG-DL-E-27112025-268032

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5275]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 2025/अग्रहायण 6, 1947

No. 5275]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2025/AGRAHAYANA 6, 1947

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2025

का.आ. 5456(अ).— सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 17 (2) (च) और सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2021 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के प्रयोजनों के लिए, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए, राष्ट्रीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित विशेषज्ञों की नियुक्ति को अधिसूचित करती है:-

- i. डॉ. आशुतोष हलदर, चिकित्सा आनुवंशिकीविद;
- ii. प्रो. (डॉ.) सतीश कुमार अडिगा, भूणविज्ञानी;
- iii. डॉ. नीना मल्होत्रा, स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति विशेषज्ञ;

- iv. डॉ. आर. जी. पटेल, स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति विशेषज्ञ;
- v. डॉ. सुनीता रेड्डी, सामाजिक वैज्ञानिक।

[फा. सं. यू. 11019/131/2022-एचआर]

ऋचा खोडा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health Research)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2025

S.O. 5456(E).— In exercise of the powers conferred by Section 17 (2) (f) of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 and Section 4 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021, the Central Government hereby notifies the appointment of following Experts as Members of the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board, for a period of three years from the date of issue of this notification, for the purposes of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 and the Surrogacy (Regulation) Act, 2021:-

- i. Dr. Ashutosh Halder, Medical Geneticist;
- ii. Prof. (Dr.) Satish Kumar Adiga, Embryologist;
- iii. Dr. Neena Malhotra, Gynaecologist and Obstetrician;
- iv. Dr. R.G. Patel, Gynaecologist and Obstetrician;
- v. Dr. Sunita Reddy, Social Scientist.

[F. No. U. 11019/131/2022-HR]

RICHA KHODA, Jt. Secy.